मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/स्थापना/सी.भर्ती./DEO/बैगा/927/ 185 भोपाल, दिनांक 30/04/2026

//संशोधित आदेश//

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा समूह-02 उप समूह-03 अंतर्गत डाटा एंट्री आपरेटर एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के भर्ती नियम पुस्तिका की टिप्पणी-12 के अनुपालन में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप एफ-6-1/2002/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 06 जून 2018 द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों को दिये गये निर्देश व म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के राजपत्र दिनांक 31 मई 2018 में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडा वर्गो के लिये आरक्षण) नियम 1998 के नियम ''4-ख आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध प्रावधानित है।

प्रावधान अनुसार आदिम जनजाति यथा बैगा,सहारिया/सहरिया एवं भारिया जनजातियों के अभ्यार्थियों से कार्यालय में सीधे प्राप्त आवेदनों के शैक्षणिक अर्हता स्नातक उपाधि में उच्च प्राप्तांको को वरीयता का आधार मानते हुये डाटा एंट्री आपरेटर संवर्ग में राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के पद के लिये निम्नतालिका के कालम क्रमांक-2 अनुसार सीधी भर्ती से चयनित किया गया है।

चयनित अभ्यार्थियों को मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 (सातवां वेतनमान) लेवल-06 (वेतनमान 25300-80500) में न्यूनतम वेतन 25300/- एवं अन्य भत्तों पर उल्लेखित शर्तो और प्रतिबंधों के अधीन आगामी आदेश तक राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम-1998 के विनियम 17 के अंतर्गत अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाकर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	नाम	पिता का नाम	लिंग	जाति	वरीयता क्रम	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री संतोष कुमार	श्री छोटेलाल	पुरूष	बैगा	01	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल
2	सुश्री मनीषा बैगा	श्री मोतीलाल बैगा	महिला	बैगा	02	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल
3	श्री राजीव कुमार पैहरवर	श्री रोशनलाल पैहरवर	पुरूष	सहरिया	03	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल
4	श्री रामनारायण बैगा	श्री परसराम बैगा	पुरूष	बैगा	05	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल
5	सुश्री जानवी बैगा	श्री शिवनाथ बैगा	महिला	बैगा	06	म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल

शर्ते:-

1. यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जा रही है परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर परिवीक्षा में सेवा समाप्त की जा सकेगी।
2. परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा ।

private:stream

3. अस्थाई नियुक्ति के दौरान उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना सूचना अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जावेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से बिना नोटिस दिये सेवा छोड दी है तथा उसे एक माह की अवधि या नोटिस की अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन भत्ते का भुगतान बोर्ड को करना होगा।
4. उनके द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना और उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना बोर्ड सेवा छोड़ने पर शर्त क्र. (3) के अतंर्गत देय राशि उनसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
5. उपर्युक्त नियुक्ति जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की प्रत्याशा में की जा रही है। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
6. नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर कार्य पर उपस्थित नहीं होने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
7. कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के ज्ञापन कमांक/एफ-9 /3/2003/नियम/चार दिनाक 13.04.2005 के अनुसार प्राप्त होने वाले मासिक वेतन एवं महगाई, भत्ते से 10 प्रतिशत राशि परिभाषित पेंशन योजना के लिये कर्मचारी अंशदान के रूप में कटौत्रा की जावेगी।
8. नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किसी अभिलेख, शपथ पत्र इत्यादि में किसी आवश्यक जानकारी का उल्लेख न होने तथा जानकारी असत्य पाये जाने पर बिना सूचना दिये सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
9. परिवीक्षा पर नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति दिनांक से एक सप्ताह में यह अनुबंध करना होगा कि वह कम से कम तीन वर्ष तक बोर्ड की सेवा करेगा और अनुबंध के उल्लंघन की दशा में तीन माह के वेतन एवं भत्तों की पूर्ति के रूप में नगद जमा करेगा।
10. स्थाई सेवा का कोई भी सदस्य सेवा छोड़ने या त्यागपत्र देने संबंधी आशय की सूचना तीन कैलेण्डर माह की लिखित सूचना प्रबंध संचालक या नियुक्ति प्राधिकारी को उचित माध्यम से दिये बिना अपनी सेवा नहीं छोड़ेगा या त्याग पत्र नहीं देगा। सेवा के किसी भी सदस्य द्वारा उपर्युक्त उपबंधों को भंग किये जाने पर वह ऐसे अंग के लिये प्रतिकार के रूप में उतनी कालावधि के, जितने से कि वस्तुतः दी गई सूचना कालावधि निहित की गई कालावधि से कम पडती हो, वेतन के बराबर की रकम बोर्ड को चुकाने का उत्तरदायी होगा।
11. चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किये जाने पर समय-समय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, साथ ही परिवीक्षाकाल अवधि में विहित विभागीय परीक्षा आदि (यदि कोई हो) को नियत समयावधि में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
12. चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता उक्त पद के लिये निर्धारित शैक्षणिक अर्हता में प्राप्तांकों में मेरिट अनुसार ही रहेगी, भले ही वे विभिन्न दिनांकों को ज्वाइन करेगे।
13. यह नियुक्ति आदेश शैक्षणिक अर्हताओं के दस्तावेज प्रमाण पत्र अंक सूचियों आदि एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज वैध नहीं पाये जाते हैं या उसकी पुष्टि/ सत्यापन नही होता है तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं सेवा अवधि में प्राप्त किये गये वेतन भत्ते वसूली योग्य होंगे। अभ्यर्थी को इस आशय का अभिवचन देना होगा।
14. म०प्र० शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क० एफ सी-15/2012/1/3 दिनांक 24 नवम्बर 2012 में जारी निर्देश के परिपेक्ष्य में शपथ-पत्र के आधार पर यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन

की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

15. यदि किसी समय चयनित अभ्यर्थी द्वारा म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड अथवा पुलिस को सत्यापन प्रकिया के दौरान दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी सेवा तत्काल बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकेगी तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
16. समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी सेवा शर्तो संबंधी लिये गये निर्णय बंधनकारी होगे।
17. बोर्ड के कार्य के लिये सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में कही भी पदस्थापना की जा सकेगी।
18. विवाहित होने की स्थिति में आपको कार्यभार ग्रहण करते समय दिनांक 26.01.2001 के बाद की स्थिति में दो से अधिक जीवित बच्चे न होने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

Digitally signed by
Kumar Purushottam
Date: 28-04-2026
17:05:41

(कुमार पुरूषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/स्थापना/सी.भर्ती./**DEO**/बैगा/927/ 186 भोपाल, दिनांक 30/04/2026

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह-अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
02. सचिव, मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
03. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
04 नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल।
05. अपर संचालक/संयुक्त संचालक मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री (समस्त) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
06. कार्यालय संयुक्त संचालक म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय, भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/जबलपुर/ग्वालियर/सागर/रीवा।
07. उप संचालक (बोर्ड स्थापना), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अभ्यार्थी के अभिलेखों की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न है तदानुसार संबंधित अभयार्थी की सेवा पुस्तिका/सेवा अभिलेख तैयार करें/संधारित करें।
08. उप संचालक/लेखाधिकारी (लेखा/आडिट/पेंशन) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
09. सहायक संचालक/अनुभाग अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी(समस्त) म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
10. श्री/श्रीमति/कुमारी..
....।
11. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती/गोपनीय चरित्रावली शाखा/लेखा शाखा/स्थापना/ पेंशन शाखा/ स्टोर शाखा/ कम्प्यूटर शाखा एवं अन्य शाखा म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।

प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल